दिनाक 03.11.2020
प्रेस विज्ञप्ति–03/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हापुड / थाना बहादुरगढ़</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **23 बने अवैध शस्त्र .315 बोर, 05 जीवित कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 03/11/2020 को थाना बहादुरगढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में सलारपुर तिराहे से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते 02 शातिर अभियुक्त 1– फजरे उर्फ फजर खान, 2– साजिया पत्नी शाहिद को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 23 बने अवैध शस्त्र .315 बोर, 05 जीवित कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण व पूर्जे बरामद हुए ।

इस सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तो–</u>

1. फजरे उर्फ फजर खान निवासी दोताई थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़
2. साजिया पत्नी शाहिद निवासी अमृत बिहार कालोनी आवास विकास थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़

<u>बरामदगी–</u>

1. 23 बने अवैध शस्त्र .315 बोर, 05 जीवित कारतूस।
2. शस्त्र बनाने के उपकरण व पूर्जे आदि।

जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर

- **03 वाहन चोर गिरफ्तार,**
- **चोरी की 14 मोटर साइकिल,**
- **दो अवैध तमंचे .315 बोर, 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद**

दिनांक 03–11–2020 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिलाना भट्टा से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 14 मोटर साइकिल, दो अवैध तमंचे .315 बोर, 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जो दिल्ली, हरियाणा प्रान्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, आदि जनपदो से मोटर साइकिलो की चोरी कर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर आसपास के इलाको में सस्ते दामो पर बेच देते है।

इस संबंध में थाना सिघांवली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सौरभ निवासी अहेड़ा थाना बागपत जनपद बागपत।

2—दीपक उर्फ हैप्पी निवासी दुढ़भा थाना बागपत जनपद बागपत।

3—आकाश निवासी दुढ़भा थाना बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी

1—कब्जे/निशादेही से चोरी की 14 मोटर साइकिल।

2—दो अवैध तमंचे 315 बोर, 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

जनपद इटावा/थाना भरथना

- **03 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 09 मोटर साइकिल,**
- **02 अवैध तंमचा व 05 जीवित कारतूस 315 बोर आदि बरामद**

दिनांक 03—11—2020 को थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाहरपुरा पुल के पास से 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल, दो अवैध तमंचे 315 बोर, 05 जीवित कारतूस .315 बोर आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जो विभिन्न जनपदो से मोटर साइकिलो की चोरी कर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर सस्ते दामो पर बेच देते है।

इस संबंध में थाना भरथना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दुरबीन निवासी डाडी थाना भरथना जनपद इटावा ।

2—संजीव निवासी सुल्तानपुर थाना एवरा कटरा जनपद औरैया ।

3—चन्दन निवासी नियातपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौ ज ।

बरामदगी

1—कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचे 315 बोर, व 05 जीवित कारतूस .315 बोर आदि

जनपद गाजियाबाद/थाना कौशाम्बी

- **बैकों से कुटरचित दस्तावेजो के आधार पर लोन लेकर करोड़ो की ठगी करने वाले 04 अपराधी गिरफ्तार,**
- **फर्जी दस्तावेज, दस्तावेज बनाने के उपकरण,**
- **24990 रु0 नगद आदि बरामद**

दिनांक 03—11—2020 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अन्सल प्लाजा माल के पास से 04 अभियुक्तों 1— कुलदीप, 2— विनोद कुमार,

3—सुनील कुमार, 4— विनोद कुमार उर्फ आलोक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 24990 रु0 नगद फर्जी दस्तावेज प्रिन्टर 01, आधार कार्ड 14, टूरिज्म कार्ड 03, पहचान पत्र 02, स्टीकर 02, 11 अदद अलग—2 कम्पनी के मोबाइल, 24990 रु0 नगद, 01 आफर लेटर, 06 फोटो विभिन्न स्टाइल के, 01 अदद बीएसईएस कार्ड, 03 डिस्क, 13 पैन कार्ड व 1 पैन कार्ड की छाया प्रति, 24 डेबिट कार्ड, 13 चेक बुक, 04 मोहरे, 02 पैन ड्राइव, 02 डोगल, 01 अदद जमा पर्ची बुक, 01 पे स्लिप पासबुक, व दस्तावेज बनाने के उपकरण आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो कुट रचित दस्तावेजो के आधार पर करोड़ो रूपये का पर्सनल लोन लेकर दर्जनो बैकों से ठगी की घटना को अंजाम दे चुके है ।

इस सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त

1— कुलदीप निवासी नितिखण्ड—1 थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद, मूलपता ग्राम खानपुर थाना चुनार, जनपद मिर्जापुर,
2— विनोद कुमार निवासी चामण्ड मन्दिर के पास राहुल विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद,
3— सुनील कुमार निवासी त्रिलोकपुरी थाना कल्याणपुरी, दिल्ली मूलपता ग्राम विसुनसराय नगर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़,
4— विनोद कुमार उर्फ आलोक निवासी त्रिलोकपुरी थाना मयूरबिहार दिल्ली, मूल पता ग्राम अनौरा थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—24990 रु0 नगद फर्जी दस्तावेज प्रिन्टर 01, आधार कार्ड 14, टूरिज्म कार्ड 03, पहचान पत्र 02, स्टीकर 02, 11 अदद अलग—2 कम्पनी के मोबाइल, 24990 रु0, 01 आफर लेटर, 06 फोटो विभिन्न स्टाइल के, 01 अदद बीएसईएस कार्ड, 03 डिस्क, 13 पैन कार्ड।

2—1 पैन कार्ड की छाया प्रति, 24 डेबिट कार्ड, 13 चेक बुक, 04 मोहरे, 02 पैन ड्राइव, 02 डोगल, 01 अदद जमा पर्ची बुक, 01 पे स्लिप पासबुक।

3—दस्तावेज बनाने के उपकरण आदि।

एसटीएफः जनपद मेरठ से अपहृत बच्चा की सकुशल बरामदगी

दिनांक 03—11—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद मेरठ से ट्रांसपोर्टर के तथाकथित अपृहत बच्चा (आरिफ) की 18 घंटे के अन्दर सकुशल बरामदगी करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अपहृत का विवरणः

1— आरिफ पुत्र आसिफ उम्र—15 वर्ष निवासी राधना, थाना किठौर, जनपद मेरठ।

दिनांक 02.11.2020 को जनपद मेरठ के थाना नौचन्दी, जनपद मेरठ से 112 नम्बर पर एक कॉल लगभग 04:00 बजे प्राप्त हुई, जिसमें आरिफ पुत्र आसिफ उम्र 15 वर्ष मूल निवासी ग्राम राधना थाना किठौर जनपद मेरठ जो वर्तमान में सेक्टर—12, शास्त्रीनगर, थाना नौचन्दी, जनपद मेरठ में किराये पर रह रहा था, उस समय गायब हो गया, जब उसके माता—पिता ग्राम—राधना, थाना किठौर, जनपद मेरठ गये थे। अपहृत के पिता के मोबाईल पर अपहृत के नम्बर से एक मैसेज **''लडका चाहिये तो 50 खोखा''** एवं घर में फुट रेस्ट पर एक कागज पर **''लडका लेना है 50 K''** लिखा हुआ था। इस सम्बन्ध में थाना नौचन्दी जनपद मेरठ अपहृत की सूचना पर मु0अ0सं0 517/2020 धारा 364ए भादवि पंजीकृत हुआ।

उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मेरठ के पर्यवेक्षण में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ नेतृत्व में फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से एस0टी0एफ0 की टीम एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अपहृत आरिफ पुत्र आसिफ उम्र—15 वर्ष को दिल्ली से 09 लाख 31 हजार रूपये सहित सकुशल बरामद कर लिया गया।

पूछताछ में आरिफ उपरोक्त ने बताया कि पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके माता ने आसिफ से दूसरी शादी कर ली। कुछ समय पश्चात उसकी माता की भी मृत्यु हो गई तो उसके सौतेले पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौलते माता—पिता से इसके मधुर सम्बन्ध नहीं थे। सौतेली माँ आरिफ को प्रताड़ित करती थी। प्रताड़ना से तंग आकर वह घर में रखे 09,31,000/—रूपये साथ लेकर दिल्ली चला गया। यह अपनी दोनों सगी बहनों को भी अपने सौतेले माता—पिता के यहां से लेकर कहीं जाने वाला था कि तभी एस0टी0एफ0 व जनपद मेरठ की पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान सकुशल बरामद कर लिया गया।

इस सन्दर्भ में थाना नौचन्दी, जनपद मेरठ पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आगामी त्यौहारो आदि के दृष्टिगत अपराधों की रोकथाम व कानून व्यवस्था सुदृढ बनाये रखने हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर दिनॉक 10—10—2020 से अभियान चलाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में 02—11—2020 तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः–

- प्रदेश में अवैध शराब / तस्करी में 6,187 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल 01 लाख, 67 हजार, 380 लीटर अवैध / अपमिश्रित शराब बरामद की गयी।
- अभियान में चिन्हित सक्रिय 754 अपराधियो के विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।
- गैर प्रान्तों से अवैध शराब की तस्करी / ब्रिकी के विरूद्ध) चलाये जा रहे अभियान में 208 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 27 हजार 807 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी।
- अवैध शस्त्र / फैक्ट्री / कारतूसों के सम्बन्ध में कार्यवाही
  कुल—2566 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।
  कुल—4073 अवैध शस्त्र बरामद।
  कुल—31 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी गयी।

जनपद बागपत/थाना दोघट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 01 लाख 79 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश बागपत द्वारा थाना दोघट पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 147/ 148/ 149/ 302/ 307/ 506 भादवि में 05 अभियुक्तो 1- इकबाल, 2- ओम प्रकाश, 3- बाबू, 4-सुधीर, 5- नीरज, को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 79 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद चित्रकुट/थाना रैपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तो को 05— 05 वर्ष के कारावास व 30— 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद चित्रकुट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अपर संत्र न्यायधीश पंचम द्वारा थाना रैपुरा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 392/412 भादवि व 14 डीएए एक्ट में 02 अभियुक्तो 1— बब्लू सिंह, 2— अमित उर्फ राजू को 5— 5 वर्ष के कारावास की सजा व 30— 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

————————